न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– चन्द्रपाल द्वितीय (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6072)

सत्र परीक्षण संख्या 432/2020

कम्पयूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 432/2020

मु0अ0सं0 525/2020

सरकार बनाम विकास आदि

अन्तर्गत धारा : 307/34,504 भा0दं0सं0

3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : हापुड नगर

जिला : हापुड़

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई । पत्रावली पेश हुई । अभियुक्तगण विकास व संदीप जेरे हिरासत उपस्थित । अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी की तर्कपूर्ण बहस आरोप विरचन के बिन्दु पर सुनी गयी । विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध 307 सपठित धारा 34,504 भा0दं0सं0 एवं 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 12.02.2021 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(चन्द्रपाल द्वितीय)

दि0 02.02.2021

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– चन्द्रपाल द्वितीय (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6072)

सत्र परीक्षण संख्या 432/2020

कम्पयूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 432/2020

मु0अ0सं0 525/2020

सरकार बनाम विकास आदि

अन्तर्गत धारा : 307/34,504 भा0दं0सं0

3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : हापुड नगर

जिला : हापुड़

UPHP010030652020

आरोप

मैं, चन्द्रपाल द्वितीय ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड,एतदद्वारा आप अभियुक्तगण विकास व संदीप उर्फ छंग्गा पर यह आरोप लगाता हूँ कि :–

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 21.08.2020 को समय करीब 20.00 बजे ग्राम बदनौली बहद थाना हापुड नगर जिला हापुड में आपने एक राय होकर सामान्य आशय से वादी के पारिवारिक पोते संदीप पुत्र श्रवण को जान से मारने की नीयत से चाकू पेट में मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307 सपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध है , जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी के पारिवारिक पोते संदीप पुत्र श्रवण को बुरी बुरी गालियां देकर , लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी के पारिवारिक पोते संदीप पुत्र श्रवण को जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए साशय अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(चन्द्रपाल द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 02.02.2021

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(चन्द्रपाल द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 02.02.2021